अनुसूची 21–फारम सं॰ 113

उपलब्धि एवं संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 4695 आवेदन सं॰ 4724/18

बैंक श्री Sri Nandan Kumar @ Sri Ajit Prakash

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता॰ 01/01/2005 to till date ASSer Index II Regd deed तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

चला है अतः सम्पत्ति सदृश्य आकृष्ट है

क्र॰ सं॰	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र॰ निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Adampur. Thana - Khagaul Danapur. Thanano - 40 Khatano - 166 Kheshrano - 274 Touzino - 5619 Area - 20.33. Dismils.							

Scanned by CamScanner

Damoh

Schedule XXI-Form No. 87

(H)

1sN32140

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application..... 4724/18

Date of application..... 18/5/18

Name of applicant..... (1) Sri Nandan Kumar

..... (2) Sri Ajit Prakash

Fees Paid..... 280/-

Stamp Paper for.....

Date of deposit.....

Registering Officer

Scanned by CamScanner

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक पत्र की देय ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): विनोद कुमार सिंह

(पदनाम): लिपिक

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): U.D.C

कार्यालय: Danapur, Patna.

तारीख: 19/5/18

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

19/5/18

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है व आवेदक [illegible] संपत्ति के संबंध में आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों का निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा ८७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक अनापुर, पटना

जाप संख्या 4769

आवेदक श्री Sri Nandan Kumar @ Sri Ajit Baitash दिनांक 19/5/18

का ऋणभार प्रमाण पत्र द्वारा

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

19/5/18

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

BPL-460999-2,00,000

Scanned by CamScanner